



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 25, 1946)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. शपथ

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा) से उप-चुनाव में निर्वाचित श्री कमलेश प्रताप शाह तथा 156-बुधनी से उप-चुनाव में निर्वाचित श्री रमाकान्त भार्गव सदस्यगण ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपने स्थान ग्रहण किये.

3. निधन का उल्लेख.

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये :-

- (1) श्री विजय सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (2) कैप्टन जयपाल सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (3) श्री महेश प्रसाद मिश्र, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (4) चौधरी गंभीर सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (5) श्री भारत सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (6) श्री प्रभात झा, भूतपूर्व संसद सदस्य,
- (7) श्री आरिफ अकील, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (8) श्री बैजनाथ सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (9) श्री नंदाराम सोरी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (10) श्री के. नटवर सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (11) श्री एस.एम. कृष्णा, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (12) श्री रतन नवल टाटा, सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी,
- (13) श्रीमती जोधइया बाई बैगा, आदिवासी चित्रकार एवं पद्मश्री तथा
- (14) सिक्किम के पाक्योंग में सड़क दुर्घटना में शहीद जवान.

तदुपरांत डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री एवं श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा कुछ समय मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11:39 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11:49 बजे विधान सभा पुनः समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

4. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 एवं 2) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 132 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 152 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पटल पर रखा.

6. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में शासन के नियमों का पालन न होने,
- (2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की इटारसी में संचालित श्रीमती विजयाराजे सिंधिया खेल प्रशाल में पर्याप्त स्टाफ न होने से रख-रखाव न हो पाने,
- (3) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य की केवलारी विधानसभा अंतर्गत संजय सरोवर परियोजना अंतर्गत जीर्ण-शीर्ण नहरों को पक्का कराए जाने,
- (4) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य की प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को नुकसान होने,
- (5) श्री दिनेश राय, सदस्य की मध्यप्रदेश में दवाई मूल्य नियंत्रण हेतु ड्रग प्राईस कंट्रोल आदेश का क्रियान्वयन सही रूप से न हो पाने,
- (6) श्री बाला बच्चन, सदस्य की राजपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन में भारी अनियमितता होने,
- (7) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य की शिवपुरी जिले में महिलाओं की तस्करी, अपहरण, चोरी, लूट एवं डकैती की घटनाओं में वृद्धि होने,
- (8) श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य की आगर-मालवा जिले के सुसनेर में नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी न की जाने,
- (9) श्री महेश परमार, सदस्य की उज्जैन में शासकीय भूमि को निजी हाथों में रेस्टोरेंट संचालन हेतु सौंपे जाने तथा
- (10) श्री विपीन जैन, सदस्य की मंदसौर स्थित काला खेत शापिंग काम्पलेक्स और आस- पास के क्षेत्र में साठिया समुदाय से अतिक्रमण न हटाए जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढी हुई मानी गईं.

7. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख.

(1) सैलाना क्षेत्र के विधायक के साथ एक चिकित्सक द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना

श्री कमलेश्वर डोडियार, सदस्य द्वारा रतलाम में एक चिकित्सक द्वारा दुर्व्यवहार की घटना पर चर्चा की मांग की गई.

(2) प्रदेश में किसानों को खाद न मिल पाना.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि पूरे प्रदेश के अंदर खाद नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है, वह बोननी नहीं कर पा रहा है. आज पूरे प्रदेश में अव्यवस्था है, सरकार इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है.

अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त किया कि इस मामले में चर्चा हेतु सूचना लगी हुई है और उस पर सदन में चर्चा कराई जाएगी. पक्ष-विपक्ष के सदस्यगण के विचारोपरांत शासन का वक्तव्य आगा निश्चित रूप से समाधान होगा.

8. बहिर्गमन.

श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा खाद संकट की स्थिति पर शासन के रवैये से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

9. विशेष उल्लेख.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने विशेष उल्लेख करते हुए आंसदी के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया कि “आज का दिन एक और विषय में बहुत महत्वपूर्ण दिन है. आज के दिन ही बांग्लादेश का उदय हुआ था और 93 हजार पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए हमारी बहादुर सेना ने मजबूर किया था, यह विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 93 हजार सैनिकों को समर्पण करवाया इसलिए यह सदन भारतीय सेना को उनकी बहादुरी के लिए बधाई और धन्यवाद देता है”.

अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री की भावना से सहमत होते हुए यह उद्गार प्रकट किए कि - बांग्लादेश के उदय के समय हमारे भारत की बहादुर सेनाओं के शौर्यपूर्ण प्रदर्शन के प्रति यह सदन पूरा आदर और सम्मान व्यक्त करता है.

10. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

श्री गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पटल पर रखा.

11. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(2) श्री नारायण सिंह कुशवाह, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2019-20 पटल पर रखे.

(3) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23, तथा

(ii) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23, एवं

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित लेखे, तथा

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 1852/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 01 अगस्त, 2024,

(ii) क्रमांक 1539/मप्रविनिआ/2024, दिनांक 26 जून, 2024, एवं

(iii) क्रमांक मप्रविनिआ-संचा.-(एल एण्ड आर)-2024-1540, दिनांक 26 जून, 2024 (शुद्धि पत्र)

पटल पर रखीं.

12. जुलाई, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 2 पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2024 सत्र की स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूची तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 2 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

13. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

14. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 12 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2024
2.	प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2024
3.	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2024
4.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2024
5.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2024
6.	मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2024
7.	मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 15 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2024
8.	मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होन वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक, 2024 (क्रमांक 17 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2024
9.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 5) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2024
10.	मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2024
11.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2024
12.	मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2024

15. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य के सिंगरौली जिले में ग्रामीण सड़कों पर अवैध परिवहन से दुर्घटनाएं घटित होने संबंधी ध्यान आकर्षण पर माननीय सदस्य की अनुपस्थितवश चर्चा नहीं हो सकी.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य ने सागर जिले के मालथौन में एक अशासकीय शैक्षणिक संस्था के संचालन में अनियमितताएं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

16. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों के सभी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

- (1) श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-शिवपुरी)
- (2) श्री घनश्याम चंद्रवंशी (जिला-शाजापुर)

- (3) श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-बालाघाट)
- (4) इंजी. हरिबाबू राय (जिला-अशोकनगर)
- (5) श्री दिनेश गुर्जर (जिला-मुरैना)
- (6) श्री राजेन्द्र भारती (जिला-दतिया)
- (7) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
- (8) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
- (9) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
- (10) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
- (11) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)
- (12) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
- (13) श्री महेन्द्र नागेश (जिला-नरसिंहपुर)
- (14) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
- (15) श्री फूलसिंह बरैया (जिला-दतिया)
- (16) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
- (17) श्री भगवानदास सबनानी (जिला-भोपाल शहर)
- (18) श्री विपीन जैन (जिला-मंदसौर शहर)
- (19) श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-झाबुआ)
- (20) श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
- (21) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-ग्वालियर)
- (22) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
- (23) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
- (24) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
- (25) श्री उमंग सिंघार (जिला-सिंगरौली)
- (26) श्री बाला बच्चन (जिला-बड़वानी)
- (27) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)

17. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र.

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2-विजयपुर से निर्वाचित सदस्य श्री रामनिवास रावत के द्वारा विधान सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र देने एवं दिनांक 8 जुलाई, 2024 को स्वीकृत किए जाने की सूचना सदन को दी गई.

18. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

श्री एदल सिंह कंधाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि :-

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडलों हेतु विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

- (1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को अपराह्न 1.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
- (2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को अपराह्न 3.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी.
- (3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
- (4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, शुक्रवार दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
- (5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा. उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

19. शासकीय विधि विषयक कार्य.

- (1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (3) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास और धर्मस्व ने मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे. सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.
- (6) श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

अपराह्न 12:38 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 (26 अग्रहायण, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 16 दिसम्बर, 2024

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा